प्रेसनोट दिनांक 30-04-2019 जनपद मुरादाबाद।

1-पीसीआर में लिये अभियुक्त की निशांदेही पर लूट का मोबाइल बरामद, थाना कुन्दरकीः-

दिनांक 07-11-2018 को वादिनी कुमारी मनीशा शर्मा पुत्री स्व0 सुखानन्द शर्मा निवासी मोहल्ला ऋषिपुरम नगर पालिका के पास कस्बा व थाना बिलारी ने मोटर साइकिल स्पलैण्डर नम्बर नामालूम रंग काला पर सवार दो व्यक्ति नाम पता अज्ञात द्वारा वादिनी का बैग, जिसमें 02 मोबाइल सैमसंग तथा 03 एटीएम कार्ड व 6 हजार रुपये थे, को झपटटा मारकर छीन ले जाने के सम्बन्ध में थाना कुन्दरकी पर मु0अ0सं0 362/18 धारा 392 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत कराया था। उक्त अभियोग में प्रकाश में आये अभियुक्त रामूपाल पुत्र हरपाल द्वारा मा0 न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया गया था। उक्त के क्रम में आज दिनांक 30-04-2019 को उ0नि0 श्री सत्येन्द्र पाल सिंह थाना कुन्दरकी ने मय हमराही पुलिसबल अभियुक्त रामूपाल उपरोक्त को जिला कारागार मुरादाबाद से पुलिस कस्टडी रिमान्ड पर लिया गया। जिसकी निशांदेही पर घटना में लूटे गये 01 सैमसंग मोबाइल को उसके घर से बरामद किया।

2-युवती को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने का आरोपी गिरफ्तार, थाना छजलैटः-

दिनांक 15-04-2019 को वादी....निवासी क्षेत्रान्तर्गत थाना छजलैट ने अभियुक्त आरिफ द्वारा वादी की पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाने तथा शिकायत करने पर अन्य अभियुक्तगण द्वारा वादी को धमकी देने के सम्बन्ध में थाना छजलैट पर तहरीर दी। जिसके सम्बन्ध में थाना छजलैट पर मु0अ0सं0 91/19 धारा 363, 366, 506 भादवि बनाम 03 नफर नामजद पंजीकृत किया गया। थाना छजलैट पुलिस द्वारा अपहर्ता को दिनांक 16-04-2019 को ही सकुशल बरामद कर लिया गया था। उक्त के क्रम में आज दिनांक 30-04-2019 को उ0नि0 श्री रवि गौतम थाना छजलैट ने मय हमराही पुलिसबल मुखबिर की सूचना पर वांछित अभियुक्त आरिफ पुत्र इस्माइल निवासी ग्राम मुस्तापुर खड़साल थाना छजलैट को मतलबपुर रेलवे फाटक से समय 12.30 बजे गिरफ्तार किया।

3-दहेज की मांग करने व मांग पूरी न होने पर प्रताडित करने वाला आरोपी गिरफ्तार, थाना छजलैटः-

दिनांक 29-04-2019 को वादी मनोज त्यागी पुत्र नत्थू सिंह निवासी डीगंरा थाना मण्डी धनौरा जनपद अमरोहा ने अभियुक्त द्वारा वादी की बहन उम्र 40 वर्ष से दहेज की मांग करने, मांग पूरी न होने पर प्रताड़ित कर मारपीट करने, जान से मारने की धमकी देने तथा मेडिकल रिर्पोट के आधार पर धारदार हथियार से वार करने के सम्बन्ध में थाना छजलैट पर तहरीर दी। जिसके सम्बन्ध में थाना छजलैट पर मु0अ0सं0 100/19 धारा 498ए/323/506 भादवि व 3/4 दहेज अधिनियम बनाम अंकुर पुत्र चन्द्रभान सिंह निवासी ग्राम कुड़ामीरपुर थाना छजलैट पंजीकृत किया गया। उक्त के क्रम में आज दिनांक 30-04-2019 को उ0नि0 श्री रविन्द्र सिंह थाना छजलैट ने मय हमराही पुलिसबल मुखबिर

की सूचना पर वांछित अभियुक्त अंकुर पुत्र चन्द्रभान सिंह उपरोक्त को कैंच की पुलिया से समय 13.00 बजे गिरफ्तार कर जेल भेजा।

4-**<u>घर में घुसकर मारपीट करने वाला वांछित अभियुक्त नाजायज असलाह सहित गिरफ्तार, थाना कटघरः-</u>**

आज दिनांक 30-04-2019 को वादी श्री श्रीपाल पुत्र हरकिशन निवासी दौढबाग थाना कटघर ने अभियुक्तगण द्वारा वादी के घर में घुसकर वादी व उसकी मां के साथ मारपीट कर गाली-गलौच करने के सम्बन्ध में थाना कटघर में तहरीर दी, जिसके सम्बन्ध में थाना कटघर में मु0अ0सं0-229/19 धारा 452/323/504 भादवि बनाम 04 व्यक्ति नाम व पता अज्ञात पंजीकृत किया गया। उक्त घटना के क्रम में उ0नि0 श्री पवन शर्मा थाना कटघर ने मय हमराही पुलिस बल मुखबिर की सूचना पर वांछित अभियुक्त बाल किशन पुत्र मुन्शी राम निवासी दौढबाग थाना कटघर को दौढबाग की पुलिया से समय 12-10 बजे 01 अदद तमंचा व 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर सहित गिरफ्तार किया। नाजायज असलाह बरामद होने के सम्बन्ध में थाना कटघर में मु0अ0सं0-230/19 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत कर अभियुक्त को जेल भेजा गया।

5-**<u>चरस सहित एक अभियुक्त गिरफ्तार, थाना सिविल लाइनः-</u>**

आज दिनांक 30-04-2019 को उ0नि0 श्री पंकज कुमार थाना सिविल लाइन ने मय हमराही पुलिस बल मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त रेहान पुत्र छिद्दा निवासी बडी मस्जिद के पास चक्कर की मिलक थाना सिविल लाइन को पुराने आर0टी0ओ0 ऑफिस के पास से समय 14-30 बजे 250 ग्राम चरस सहित गिरफ्तार किया गया। उक्त सम्बन्ध में थाना सिविल लाइन में मु0अ0सं0-351/19 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्त को जेल भेजा गया।

6-**<u>20 लीटर कच्ची शराब सहित एक अभियुक्त गिरफ्तार, थाना सिविल लाइनः-</u>**

आज दिनांक 30-04-2019 को उ0नि0 श्री नरेश कुमार थाना सिविल लाइन ने मय हमराही पुलिस बल मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त मोहित पुत्र राजू निवासी आदर्श कालोनी थाना सिविल लाइन को फकीरपुरा रेलवे क्रॉसिंग के पास से समय 12-30 बजे 20 लीटर कच्ची शराब सहित गिरफ्तार किया गया। उक्त सम्बन्ध में थाना सिविल लाइन में मु0अ0सं0-350/19 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।